भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1725

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

छात्रवृत्ति - आधारित योजनाएं

1725. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री-अजय, प्रधानमंत्री-दक्ष और छात्रवृत्ति आधारित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) क्या खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो नगर में शहरी गरीबों सहित पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को सही ढंग से चिह्नित किया गया है और उन्हें इन योजनाओं के दायरे में लाया गया है, और पिछले तीन वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की जिलेवार संख्या क्या है;

(ग) इन जिलों में लाभार्थियों द्वारा प्राप्त रोजगार, स्वरोजगार या आय के संबंध में प्राप्त परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या लाभार्थी पहचान या कार्यान्वयन में कमियों के कारण कवरेज या परिणाम कम रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं; और

(ङ) इन जिलों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु समय पर छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, ऋण सुलभता और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): जी, हां। सरकार शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता के माध्यम से अनुसूचित जातियों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) और छात्रवृत्ति आधारित योजनाएं नामत: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, श्रेयस (यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति) जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र

की 4 उप-योजनाएं 'अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा', "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स चिल्ड्रन के लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना", "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज स्कीम" और "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप" शामिल हैं, का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख): योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाती है और उन्हें विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। कटनी, पन्ना और छतरपुर (खजुराहो) जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है:

योजना	जिला	लाभार्थियों की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना	कटनी	4473	4265	4432
	पन्ना	8937	8384	8391
	छतरपुर	17838	17763	17906
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना	कटनी	2465	2513	2231
	पन्ना	4088	4270	3750
	छतरपुर	7726	8197	8076
पीएम-अजय (आदर्श ग्राम घटक)	कटनी	5089	0	0
	पन्ना	6447	0	0
	छतरपुर	4382	0	0
पीएम-अजय (सहायता अनुदान घटक)	कटनी	10	25	25
	पन्ना	39	88	101
	छतरपुर	0	61	161

(ग) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) शुरू की थी जो अनुसूचित जाति में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्तपोषण (10 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये 4% ब्याज पर) प्रदान करता है। इस फंड की कार्यान्वयन एजेन्सी इंडस्ट्रियल फायनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) है। वर्ष 2020 में, 30 लाख रुपये तक के अनुदान के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के अभिनव विचारों का समर्थन करने के लिए अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) उप-योजना शुरू की गई थी। अब तक, देश भर में 174 महिलाओं सहित अनुसूचित जाति के 558 उद्यमियों को इन पहलों से लाभ मिला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए तक है, आय सृजक कार्यकलापों के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लघु व्यवसायी इकाइयों में लगे

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए ऋण के रूप में रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि ये कार्यकलापों का विस्तार हो और ये लाभप्रद बन सकें। एनएसएफडीसी द्वारा 2022-23 से खजुराहो लोक सभा क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो नगर में स्व-आय सृजन गतिविधियों के लिए 17 लाभार्थियों को 26,47,849.00 रुपये की राशि का ऋण संवितरित किया गया है।

(ङ): सरल और शीघ्र संवितरण के लिए तथा लाभार्थियों तक प्रभावी ढ़ग से पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत संवितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है। पीएम-अजय योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, यह विभाग एक व्यापक पोस्ट-ट्रेनिंग सपोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करता है जो मध्य प्रदेश राज्य के कटनी, पन्ना और खजुराहो के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों सहित अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए हैंडहोल्डिंग, ऋण सुविधा और बाजार-संपर्क को एकीकृत करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए एक डिजिटल इंटरफेस-पीएम सूरज के माध्यम से ऋण तक पहुंच को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं एवं अनुसूचित जातियों और अन्य लाभवंचित समुदायों के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने के लिए मेंटरशिप सहायता और बाजार संपर्क उपलब्ध करवाया जाता है।

*****